

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::** पुरासान गांवों के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्बाहेड़ा, जिला करेड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या 645 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम                      | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 1           | 2                          | 3           | 4                          | 5  |
| 05          | निम्बाहेड़ा<br>जिला करेड़ा | 645         | सोही फनी गोपी              | सोही फनी गोपी<br>गोपी  |

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 21/11/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 04

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सोही फनी गोपी

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

